संख्याः 178/एक-10-2023-33(11)/2021

प्रेषक,

प्रभु एन० सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर, महोबा, झांसी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, मथुरा, बलिया, वाराणसी, मऊ, सम्भल, जालौन एवं भदोही।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊ दिनांकः 06/02/2023

**विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा राहत की वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन कृषि निवेश अनुदान पोर्टल" पर फीड की गयी सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये **36,62,46,782/- (रूपये छतीस करोड़ बासठ लाख छियालिस हजार सात सौ बयासी मात्र)** की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-3 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

| क्र०सं० | जनपद का नाम | स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | सिद्धार्थ नगर | 115832118 |
| 2 | महोबा | 110354765 |
| 3 | झांसी | 75159576 |
| 4 | सीतापुर | 60203698 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | बहराइच | 1968751 |
| 6 | बाराबंकी | 1558679 |
| 7 | मथुरा | 975257 |
| 8 | बलिया | 96290 |
| 9 | वाराणसी | 50401 |
| 10 | मऊ | 37615 |
| 11 | सम्भल | 6720 |
| 12 | जालौन | 2770 |
| 13 | भदोही | 142 |
| योग | | 36,62,46,782 |

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिंनाक-10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान आनलाइन माड्यूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-I (Vol-II), दिनांक-10.10.2022 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वितीय वर्ष-2022-23 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की

आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **36,62,46,782/- (रूपये छतीस करोड़ बासठ लाख छियालिस हजार सात सौ बयासी मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

Signed by प्रभु नारायण सिंह
Date: 06-02-2023 16:36:12
Reason: Approved

**(प्रभु एन० सिंह)**
**प्रमुख सचिव।**

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2022-2023**
**आवंटन दिनांक-06/02/2023**

**प्रेषण संख्या:-** 178
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-178
**अनुदान संख्या:-** 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 42-अन्य व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 975257<br>57086137 | 975257<br>57086137 |
| 2 | झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 75159576<br>451318728 | 75159576<br>451318728 |
| 3 | जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 2770<br>76925217 | 2770<br>76925217 |
| 4 | वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 50401<br>73209841 | 50401<br>73209841 |
| 5 | बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 96290<br>61761743 | 96290<br>61761743 |
| 6 | सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 60203698<br>427346362 | 60203698<br>427346362 |
| 7 | बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 1968751<br>579309978 | 1968751<br>579309978 |
| 8 | बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 1558679<br>278687551 | 1558679<br>278687551 |
| 9 | मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 37615<br>106191259 | 37615<br>106191259 |
| 10 | सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 115832118<br>719805463 | 115832118<br>719805463 |
| 11 | महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 110354765<br>571655028 | 110354765<br>571655028 |
| 12 | संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 142<br>2441713 | 142<br>2441713 |
| 13 | सम्बल-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 6720<br>3095368 | 6720<br>3095368 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 366246782<br>3408834388 | 366246782<br>3408834388 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस करोड़ बासठ लाख छियालीस हजार सात सौ बयासी
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन अरब चालीस करोड़ अठासी लाख चौंतीस हजार तीन सौ अठासी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
**वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी**
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।